न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्याः Jodhpur/225RTA/2019/064

1. मोडाराम पुत्र लूम्बाराम जाट
2. डूंगरराम पुत्र लूम्बाराम जाट
3. बुधाराम पुत्र लूम्बाराम जाट
4. पेमाराम पुत्र लूम्बाराम जाट

निवासीगण गादेरी, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर

----- अपीलार्थीगण

ब

ना

म

1. सरपंच, ग्राम पंचायत उस्तरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर भोपालगढ दिनांक 17 जून 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 28/2019 मोडाराम व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत उस्तरा व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता सुगनमल परिहार
प्रत्यर्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी
प्रत्यर्थी संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तू., 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण ने विद्वान सहायक कलेक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 28/2019 मोडाराम व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत उस्तरा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 जून 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 11 जुलाई 2019 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम गादेरी तहसील भोपालगढ स्थित आराजी खसरा संख्या 178 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 179 रकबा 06 बिस्वा गैरमुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 376 रकबा 38 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 181/1 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 379/1 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 181 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 379 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 176/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 177/1 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 175/1 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 176 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 181/3 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 379/3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 181/2 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 379/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा पर अपना पीढियों से कब्जा काश्त होकर पुश्तैनी खातेदारी की भूमियां होना जाहिर किया और बताया कि प्रार्थीगण इन भूमियों में अलग-अलग हिस्सो में मकान बना कर निवास भी कर रहे है, उनके ट्युबवेल आदि खुदे हुए है और विधुत कनेक्शन लिये हुए है। इन आराजियात के मध्य कभी कोई कटाणी रास्ता अस्तित्व में नहीं रहा है और न ही वक्त सेटलमेण्ट से लेकर आदिनांक तक अपीलाण्ट्स-प्रार्थीगण या उनके पूर्वजों को किसी कटाणी रास्ते पर अतिकमण बावत कभी कोई धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का नोटिस मिला है। मगर वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत गादेरी द्वारा आपसी रंजिश व राजनीतिक द्वेषता के कारण कटाणी रास्ते की आड

में प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स को परेशान करने पर आमदा है और इसी कम में दिनांक 01 जून 2019 को वादग्रस्त आराजियात पर आकर राजस्व रिकार्ड में कटाणी रास्ता दर्ज होना बताते हुए मौके पर बने हुए मकानात ध्वस्त करने की धमकी दी। प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स ने वादग्रस्त आराजियात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में नियमित दावा पेश किया और साथ ही मूल दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र भी पेश किया, मगर अप्रार्थी-रेस्पो. की ओर से मूल वाद में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र विचाराधीन होने का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2019 अस्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि मूल वाद में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र विचाराधीन होना अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं हो सकता है। राजस्व नक्शे में मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत रास्ते का अंकन कर दिया गया है, जिसकी शुद्धिकरण हेतु अपीलाण्ट्स-वादीगण द्वारा नियमित वाद प्रस्तुत कर दिया गया है, खसरा संख्या 379 व 178, 376 व 176 में आवागमन हेतु पूर्व से ही केवल सडक विद्यमान है, जो स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा दो बार बनवाई गयी और वर्षो से रास्ते के रूप में काम में आ रही है, परन्तु वर्तमान सरपंच राजनैतिक द्वेषभावना के कारण खसरा संख्या 191 व 379 के बीच नया रास्ता स्थापित करने पर आमादा है।

जबाब में प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि स्थगन आदेश की आड में सार्वजनिक हित के काम में बाधा नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डाली जानी चाहिये। अपीलाण्ट्स का प्रार्थनापत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गयी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

मामले में अपीलाण्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजियात अपनी पुश्तैनी खातेदारी की भूमियां होना जाहिर किया है, और पत्रावली में जो मौका फर्द दिनांक 23 जून 2019 है, उसके अनुसार विवादित कटाणी रास्ता मौके पर अपीलाण्ट्स की कच्ची दीवारों का बाडा है तथा आवागमन का रास्ता अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से निकाला हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि मूल वाद अभी भी विचाराधीन है और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र विचाराधीन होना किसी स्थगन आदेश के जारी किये जाने बाबत कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है, जबकि अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स-प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मात्र इसी आधार पर खारिज कर दिया गया कि मूल वाद में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के इस मन्तव्य से अदालत हाजा सहमत नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2019 अपास्त किया जाता है। साथ ही निर्देश दिये जाते है कि मूल वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के निस्तारण तक राजस्व नक्शे में वर्णित कटाणी मार्ग पर स्थित अपीलाण्ट्स के मौके पर निर्माण कार्य को सुरक्षित रखते हुए उससे 20 फीट की दूरी पर सडक बनायी जावे। सुरक्षित रखी जाने वाली 20 फीट की दूरी के बाद सडक के अन्तर्गत आने वाली भूमि का रकबा अपीलाण्ट ग्राम पंचायत को बख्शीश के जरिये हस्तान्तरित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/X/19

(नखतदान बाहरठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर